


19.05.25

पत्रावली पेश हुई। ककील वादी या वादिपा
संबंध उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादिपा का यह
वादपत्र अदम चैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बंद तरीके
तकमील होकर दायिल इफ्तार हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुले न्यायालय
में सुनाया गया।


19.05.25
(किरण पाल)
R.A.S.